

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्नाव।

पत्रांक -

/जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2025-26,

दिनांक

21-11-2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं के चयन सम्बन्धी नवीन शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद उन्नाव के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परिचयनावार विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या			
		अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	असोहा	18	26	44	88
2	औरास	31	26	57	114
3	बागरमऊ	15	19	30	64
4	बिछिया	21	29	52	102
5	बीघापुर	13	8	33	54
6	एफ-84	11	13	31	55
7	गंजमुरादाबाद	12	17	30	59
8	मियागंज	17	26	50	93
9	नवाबगंज	24	18	35	77
10	पुरवा	10	12	24	46
11	हसनगंज	23	23	34	80
12	हिलौली	16	19	34	69
13	सिकन्दरपुर सिरौसी	27	29	53	109
14	सिकन्दरपुर करन	43	45	64	152
15	सुमेरपर	9	12	19	40
16	सफीपुर	10	10	25	45
17	उन्नाव शहर	17	20	28	65
कुल योग		317	352	643	1312

उपरोक्त पदों का आंगनवाड़ी केन्द्रवार रिक्तियां, आरक्षण एवं अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के विकास भवन तथा तहसील, विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, के नोटिस बोर्ड पर चर्या की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश:-

1. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
2. रिक्त पदों (आंगनवाड़ी सहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष होगी एवं मेरिट आवेदकों के इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) के स्थाई निवासी होना चाहिए।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आयु के संबंध में हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
6. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर केवल ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र 12 दिसम्बर 2025 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे।
8. विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ भी सकती है।
9. उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन की प्रक्रिया सहित सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर भी उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड/शहर के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, उन्नाव से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011(यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. गरीबी रेखा की आय के मानक के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
12. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
13. आगनवाड़ी सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत् है:-
 - (I) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (II) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यक्ता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (III) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (IV) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (V) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यक्ता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (VI) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
14. तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
15. विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी।

(अजय कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उन्नाव।

पृष्ठांक सं० C-1765 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उन्नाव।
4. जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान में पठनीय प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि परियोजना कार्यालय के साथ ही सम्बन्धित तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही सम्बन्धित ग्रामसभा/वार्ड के रिक्त पदों की जानकारी ग्राम प्रधान/सभासद को देना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय प्रति।

AM
जिला कार्यक्रम अधिकारी
उन्नाव।